Dainik Jagran, New Delhi
Tuesday, 27th December 2022; Page: 7
Width: 21.25 cms; Height: 36.88 cms; a3; ID: 22.2022-12-27.43

डीटीटीडीसी की दुकानों पर शराब के गिने-चुने ब्रांड ही बचे

- शराब के गिने-चुने ब्रांड ही खरीद पा रहे हैं उपभोक्ता
- 20 ब्रांड को शार्टलिस्ट कर देने से पैदा हुई यह स्थिति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) की दुकानों पर कुछ दिन से शराब के ब्रांड में कमी आ गई है। डीटीटीडीसी की राजधानी में 135 से अधिक दुकानें हैं, जहां शराब के गिने-चुने ब्रांड ही उपलब्ध हैं। ऐसे में मजबूरी में लोगों को यही ब्रांड खरीदना पड़ रहा है। दरअसल, यह समस्या डीटीटीडीसी की दुकानों पर कई ब्रांडों की छंटनी कर देने से पैदा हुई है। बताया जाता है कि डीटीटीडीसी ने अपनी दुकानों के लिए 20 ब्रांड शार्टलिस्ट कर दिए हैं और केवल इन्हीं ब्रांड की शराब मंगाई जा रही है। डीटीटीडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मामले के बारे में पता किया जा रहा है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय मादक पेय कंपनियों का परिसंघ इसे एक साजिश मान रहा है। परिसंघ के महासचिव विनोद गिरी ने इस बारे में डीटीटीडीसी की प्रबंध निदेशक निहारिका राय को पत्र लिखकर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया है। राय ने कहा है कि ऐसा निर्देश किस स्तर पर दिया गया है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन जिसने भी ऐसा किया है, गलत किया है। ऐसा करना उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन है, साथ ही इससे इस कारोबार से जुड़े लोगों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

विनोद गिरी ने कहा कि पहले तो उन लोगों से ब्रांड की फीस सात माह की जगह 12 माह की ले ली गई, क्योंकि वर्तमान नीति के लिए सात माह का समय अभी शेष था, लेकिन हर ब्रांड के लिए 12 माह की फीस ले ली गई। एक-एक ब्रांड के लिए लोगों ने 25-25 लाख रुपये जमा कराए हैं, लेकिन उन ब्रांड को ही डीटीटीडीसी की 135 दुकानों पर रोक दिया गया है जिसके लिए फीस ली गई। यह सरासर गलत है।

उन्होंने बताया कि अभी तक दुकानों पर जो ब्रांड ज्यादा बिकता था, उसी का आर्डर अधिक मिलता था। वर्षों से ऐसा चल रहा था। उन्होंने डीटीटीडीसी से मांग की है कि बाजार आधारित आर्डरिंग पैटर्न बहाल किया जाए, जहां खुदरा दुकानों में बिक्री के आधार पर आर्डर दिए जाते हैं।